महत्वपूर्ण/तत्काल
ई-1776591

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
जम्मू कश्मीर शासन,
जम्मू/ श्रीनगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः06-05-2024

विषयः- जम्मू-कश्मीर राज्य की कारागारों में निरूद्ध 50 अतिरिक्त विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को उत्तर प्रदेश राज्य की कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर शासन, जम्मू/श्रीनगर के पत्र संख्या-होम/पीबी-वी/शिफ्ट-ओएस/2023(7134206), दिनांक-22-12-2023 तथा डिप्टी लीगल रिमेम्बरेन्स, गृह विभाग, जम्मू कश्मीर शासन, जम्मू/श्रीनगर के पत्र संख्या- होम/पीबी-वी/शिफ्ट-ओएस/2023(7134206), दिनांक-04-03-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जम्मू-कश्मीर राज्य की कारागारों में निरूद्ध 50 अतिरिक्त विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को उत्तर प्रदेश राज्य की कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-8955/जम्मू कश्मीर सेल, दिनांक-27-03-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जम्मू-कश्मीर राज्य की कारागारों में निरूद्ध 50 अतिरिक्त विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को उत्तर प्रदेश राज्य की केन्द्रीय कारागार, वाराणसी एवं केन्द्रीय कारागार, बरेली द्वितीय में निरूद्ध किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2- जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी/बरेली।
3- पुलिस आयुक्त,वाराणसी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी/ बरेली (द्वितीय)।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in